13.8.25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित प्रार्थना पत्र के मूल वाद में वादी वकील हरा जाहिर किया गया कि उभय पक्षकारों के मध्य रायीनामा हो गया है अतः मूल वाद को खारीज किये जाने का निवेदन पत्र वाद खारीज किया जा चुका है मूल वाद खारीज होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं बचता है अतः प्रार्थना पत्र को इसी तरह पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से रूम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो चुका आगे चलाना नहीं चलाना चाहते हैं

Ashram
निशुल्क सुविधा
पहचनमिला
जिला झुंझुनूं